


कार्यालय आख्या एस 06

सभी पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि कम्प्यूटरकृत वादों की सुनवाई दिनांक 11.09.2024 को नियत थी जिसको अपरिहार्य कारण से उक्त वाद की सुनवाई दिनांक 11.09.2024 के स्थान पर दिनांक 31.12.2024 नियत की जाती है।

आज्ञा से

मा0, राज्य सूचना आयुक्त,


पक्षकार एस-6